UPPCS MAINS TEST - 12 (SOLUTION)

Q 1. ‘मूल संरचना’ के सिद्धांत के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: ‘मूल संरचना’ का सिद्धांत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक न्यायिक नवाचार है। इसका मुख्य उद्देश्य **अनुच्छेद 368** के तहत संसद की संशोधन शक्ति के संभावित दुरुपयोग से संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करना है।

‘मूल संरचना’ सिद्धांत का विकास

संसदीय सर्वोच्चता का युग (1951-1967)

- **शंकरी प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965):** इस दौरान न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण और असीमित है। न्यायालय का मानना था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" शब्द में संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल नहीं हैं।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):** इस मामले में न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों को उलट दिया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" की परिभाषा में आते हैं।

मूल संरचना सिद्धांत का जन्म

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने गोलकनाथ मामले के फैसले को उलट दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यद्यपि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसकी **“मूल संरचना"** को नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति व्यापक तो है, लेकिन असीमित नहीं।

सिद्धांत का सुदृढ़ीकरण और विस्तार

- **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975):** सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए 39वें संशोधन को रद्द कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास किया था। न्यायालय ने **‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’** को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।
- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):** न्यायालय ने 42वें संशोधन की उन धाराओं को निरस्त कर दिया जो संसद को "असीमित" संशोधन शक्ति प्रदान करती थीं। न्यायालय ने टिप्पणी की: “भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है।"
- **आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं, यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

सिद्धांत की आलोचना

- **पाठ्य आधार का अभाव:** आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत "संविधान-इतर" है क्योंकि इसका संविधान के मूल पाठ में कहीं उल्लेख नहीं है।
- **न्यायिक अतिरेक:** यह न्यायपालिका को "अंतिम शब्द" कहने की शक्ति देता है, जो संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली जनता की इच्छा को कमजोर कर सकता है।
- **अस्पष्टता:** सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी "मूल संरचना" की कोई निश्चित सूची प्रदान नहीं की है, जिससे कानूनी अनिश्चितता बनी रहती है।
- **लोकतांत्रिक वैधता पर बहस:** यह तर्क दिया जाता है कि यह एक गैर-निर्वाचित निकाय (न्यायपालिका) द्वारा निर्वाचित निकाय (संसद) पर अपनी वैधता थोपने जैसा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मूल संरचना’ सिद्धांत के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक **“सेफ्टी वाल्व"** के रूप में कार्य किया है। कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा को बनाए रखने में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस सिद्धांत ने भारतीय शासन व्यवस्था को "संसदीय संप्रभुता" से **“संवैधानिक संप्रभुता"** की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है।

Q 2. भारत में राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने में वित्त आयोग की सिफारिशों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर: राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य दक्षता, निष्पक्षता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन से है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के **अनुच्छेद 280** के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है।

वित्त आयोग की सिफारिशों का महत्व

- **ऊर्ध्वाधर असंतुलन को दूर करना (कर हस्तांतरण):** ऐतिहासिक बदलाव (14वाँ वित्त आयोग) डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी **32% से बढ़ाकर 42%** कर दी थी। यह वास्तविक राजकोषीय विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था।
- **यथास्थिति (15वाँ और 16वाँ वित्त आयोग):** 15वें वित्त आयोग (एन.के. सिंह) और हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया) ने इस हिस्सेदारी को **41%** पर बनाए रखा है (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण 1% का समायोजन)। यह राज्यों के राजस्व में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है।
- **क्षैतिज समानता को बढ़ावा देना (राज्यों के बीच वितरण):** क्षैतिज हस्तांतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार जैसे संसाधन-विहीन राज्य के नागरिक को भी वैसी ही सार्वजनिक सेवाएँ मिलें जैसी महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य के नागरिक को मिलती हैं।
  - ✓ **समानता बनाम दक्षता:** वित्त आयोग एक सूत्र अपनाता है जिसमें आवश्यकता (जनसंख्या, क्षेत्रफल), समानता (आय दूरी), और दक्षता (कर प्रयास, वन क्षेत्र) के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है।

- **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:** प्रदर्शन-आधारित अनुदान 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए **₹4.36 लाख करोड़** से अधिक की सिफारिश की, जिसमें एक बड़ा भाग "बंधित अनुदान" के रूप में पेयजल, स्वच्छता और वायु गुणवत्ता जैसे सेवा-मानकों से जुड़ा है।
- **राजकोषीय अनुशासन और रोडमैप:** आयोग एक 'राजकोषीय प्रहरी' के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के दोनों स्तरों के लिए ऋण-से-जीडीपी लक्ष्य निर्धारित करता है।
  - ✓ **ऑफ-बजट उधारी को रोकना:** 16वें वित्त आयोग ने "ऑफ-बजट" देनदारियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है और सिफारिश की है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य ऐसी सभी उधारी को अपने बैलेंस शीट पर लाएँ।

राजकोषीय संघवाद के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ

- **सिकुड़ता विभाज्य पूल:** केंद्र सरकार द्वारा **उपकर और अधिभार** पर बढ़ती निर्भरता (जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता) ने राज्यों को प्राप्त होने वाली वास्तविक हिस्सेदारी को कम कर दिया है।
- **जनसंख्या आधारित असंतोष:** दक्षिण भारतीय राज्य अक्सर तर्क देते हैं कि (1971 के बजाय) **2011 की जनगणना** का उपयोग उन राज्यों को दंडित करता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया। हालाँकि आयोग "जनसांख्यिकीय प्रदर्शन" के माध्यम से इसे संतुलित करता है, फिर भी गतिरोध बना हुआ है।
- **राजस्व घाटा अनुदान को वापस लेना:** 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा (RD) अनुदान को धीरे-धीरे समाप्त करने के कदम से पहाड़ी और विशेष श्रेणी के राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो संरचनात्मक राजस्व घाटे का सामना करते हैं।

वित्त आयोग सहकारी और राजकोषीय संघवाद के संवैधानिक विजन को व्यवहार में उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः, भारत में राजकोषीय संघवाद की प्रभावशीलता न केवल वित्त आयोग की सिफारिशों पर, बल्कि सहकारी शासन के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है।

Q 3. केंद्र-राज्य संबंधों के प्रबंधन में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: अंतर-राज्य परिषद (ISC) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 263** के तहत संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की सुविधा के लिए की गई है।

केंद्र-राज्य संबंधों के प्रबंधन में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका

- **सहकारी संघवाद का मंच:** यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय अनिवार्यताओं के बीच "विश्वास की कमी" को पाटने और शिकायतों को दूर करने के लिए एक विचार-विमर्श निकाय के रूप में कार्य करता है। एकतरफा निर्णय लेने के बजाय विचार-विमर्श को सक्षम करके, यह सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
- **अंतर-राज्य विवादों का समाधान:** जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत कानूनी विवादों को संभालता है, वहीं अंतर-राज्य परिषद उन राजनीतिक और प्रशासनिक घर्षणों को दूर करती है जिनमें न्यायिक निर्णय के बजाय बातचीत की आवश्यकता होती है (जैसे- अंतर-राज्यीय सीमा विवाद)।
- **नीतिगत समन्वय का मंच:** यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय योजनाएँ (जैसे- GST का कार्यान्वयन या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) राज्य-स्तरीय प्रशासनिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों। यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है।
- **बहुपक्षीय संवाद का आधार:** यह एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं। यह राष्ट्रीय नीतियों (जैसे- आंतरिक सुरक्षा या आधार कार्यान्वयन पर चर्चा) की वैधता और स्वीकार्यता को बढ़ाता है।

प्रमुख चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **अनियमित बैठकें:** परिषद को वर्ष में तीन बार बैठक करने का अधिदेश प्राप्त है, लेकिन 1990 ई. में अपनी स्थापना के बाद से इसकी केवल 12 बैठकें हुई हैं। यह अनियमितता इसे एक सक्रिय निकाय बनने से रोकती है।
- **सलाहकारी प्रकृति:** इसकी सिफारिशें संघ या राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं, जिससे यह अक्सर निर्णय लेने वाले निकाय के बजाय केवल एक "चर्चा मंच" बनकर रह जाता है।
- **संस्थागत ओवरलैप:** GST परिषद और नीति आयोग (शासी परिषद) जैसे विशिष्ट निकायों के उदय ने वित्तीय और विकासात्मक संघवाद के प्राथमिक मंच के रूप में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका को कम कर दिया है।
- **राजनीतिक विचार:** इसकी प्रभावशीलता राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। अक्सर संघीय तनाव संस्थागत मंचों से बाहर निकलकर राजनीतिक विवादों का रूप ले लेते हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों को सही मायने में पुनर्जीवित करने के लिए, अंतर-राज्य परिषद को एक स्थायी सचिवालय और नियमित बैठकों के साथ संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही, इसे राज्यपाल की भूमिका या राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग जैसे सबसे विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा करने का अधिकार मिलना चाहिए।

Q 4. "अरावली संरक्षण का मुद्दा भारत में 'न्यायिक सक्रियता' और 'कार्यपालिका की जड़ता' के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है।" हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों के आलोक में, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर: विश्व की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक, अरावली पर्वतमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए "फेफड़ों" (ग्रीन लंग) के रूप में कार्य करती है। इसके संरक्षण के लिए जारी संघर्ष 'न्यायिक सक्रियता' (जहाँ न्यायपालिका नीतिगत शून्यता को भरने के लिए आगे आती है) और 'कार्यपालिका की जड़ता' के बीच घर्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

अरावली संरक्षण - संवैधानिक अधिकार

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।

- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है (जैसा कि पर्यावरण न्यायशास्त्र में व्याख्या की गई है)।

कार्यपालिका की जड़ता: संकट की जड़

- **परिभाषा संबंधी अस्पष्टता:** दशकों तक इस बात की कोई एकसमान परिभाषा नहीं थी कि "अरावली पहाड़ी" या "पर्वतमाला" क्या है। इसने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की कार्यपालिका को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पट्टे देने की अनुमति दी, यह दावा करते हुए कि वे अरावली का हिस्सा नहीं थे।
- **प्रवर्तन की कमी:** कई अधिसूचनाओं (जैसे 1992 की अरावली अधिसूचना) के बावजूद, राज्य अधिकारी अवैध खनन को रोकने में विफल रहे।
- **नीतिगत शून्यता:** "सतत खनन प्रबंधन योजना" (MPSM) बनाने में देरी का अर्थ यह था कि संसाधन निष्कर्षण को पारिस्थितिक अखंडता पर प्राथमिकता दी गई।

अरावली संरक्षण में न्यायिक हस्तक्षेप

- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2004 और 2009):** न्यायालय ने हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में सभी खनन गतिविधियों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस पर्वतमाला की रक्षा "हर कीमत पर" की जानी चाहिए। इसने 'एहतियाती सिद्धांत' लागू किया, जिससे यह साबित करने का भार खननकर्ताओं पर आ गया कि उनकी गतिविधि हानिकारक नहीं थी।
- **अरावली अधिसूचना पर सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का आदेश:** 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) में संशोधन करने के प्रयास के लिए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जिससे अरावली के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति मिल जाती।
- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामला:** इस निरंतर चलने वाले "वन मामले" ने 'वन' की परिभाषा को शब्दकोश के अर्थ के अनुसार सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया, जिससे कार्यपालिका को रियल एस्टेट के लिए अरावली भूमि को गैर-अधिसूचित करने से रोका गया।
- **न्यायिक सक्रियता का वर्तमान उदाहरण:** एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान परिभाषा अपनाई थी कि स्थानीय भू-आकृति से 100 मीटर ऊपर उठने वाली पहाड़ी अरावली पहाड़ी है। जब पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि यह "100-मीटर का नियम" 90% रिज को बाहर कर सकता है (जिससे उनमें खनन की अनुमति मिल जाएगी), तो न्यायालय ने सक्रियता दिखाते हुए **जनवरी 2026** में अपने स्वयं के आदेश पर रोक लगा दी और परिभाषा की पुन: जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

अंततः, सतत पर्यावरणीय शासन के लिए टकराव की स्थिति से आगे बढ़कर सहकारी संवैधानिकता की दिशा में जाना आवश्यक है, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक वादे को साकार करें।

Q 5. भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका का आकलन कीजिए।

उत्तर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993** के तहत की गई थी। इसकी स्थापना जवाबदेही की घरेलू मांगों और **पेरिस सिद्धांतों (1991)** के अनुरूप वैश्विक मानदंडों को पूरा करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण की गई थी।

NHRC की रक्षात्मक भूमिका (जाँच और अन्वेषण)

- **स्वत: संज्ञान:** आयोग औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना मीडिया रिपोर्टों या सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर स्वयं जाँच शुरू कर सकता है।
- **हिरासत में निगरानी:** यह जेलों, हिरासत केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करके वहां की स्थितियों का अध्ययन करता है और सुधारों की सिफारिश करता है।
- **लोक सेवकों की लापरवाही:** यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में सार्वजनिक अधिकारियों की विफलता (जैसे- मॉब लिंचिंग रोकने में पुलिस की विफलता) की जाँच करता है।

सलाहकार और समीक्षात्मक भूमिका

- **विधायी समीक्षा:** यह मौजूदा कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है और उन्हें मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधनों का सुझाव देता है (जैसे- AFSPA या UAPA की समीक्षा)।
- **संधियों का कार्यान्वयन:** यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करता है और उनके प्रभावी घरेलू कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।

संवर्धनात्मक भूमिका

- **साक्षरता और जागरूकता:** सेमिनार, प्रकाशनों और मीडिया अभियानों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना।
- **NGO के साथ सहयोग:** मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

मूल्यांकन: उदाहरणों एवं वादों के माध्यम से सफलताएँ

- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** यद्यपि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, लेकिन हिरासत में हिंसा को दूर करने में NHRC ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस मामले ने गिरफ्तारी प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिससे NHRC के अधिदेश को मजबूती मिली।
- **PUCL बनाम भारत संघ (भोजन का अधिकार मामला, 2001):** जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य योजनाओं को अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों में बदल दिया, वहीं NHRC ने भुखमरी से होने वाली मौतों की निगरानी की और राज्य की जवाबदेही की सिफारिश की।
- **मैला ढोने के मामले:** NHRC ने 'मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम, 2013' के कार्यान्वयन की निगरानी की। इसने राज्यों को मैला ढोने वालों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के निर्देश दिए तथा सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे की सिफारिश की।

चिंताएँ और सीमाएँ

- **सलाहकारी प्रकृति:** इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

सरकार इसके निष्कर्षों को अस्वीकार कर सकती है, हालांकि उसे ऐसा करने के कारण बताने होते हैं।

- **जाँच का अभाव:** इसके पास अपना स्वतंत्र जाँच कैडर नहीं है और यह अक्सर उन्हीं पुलिस बलों पर निर्भर करता है जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
- **एक वर्ष की समय सीमा:** PHRA की धारा 36 के तहत, NHRC एक वर्ष से पुराने किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता, जिससे लंबे समय से चले आ रहे व्यवस्थित शोषण के कई पीड़ित न्याय से वंचित रह जाते हैं।

आयोग को प्रवर्तन शक्तियों, एक स्वतंत्र जाँच शाखा और एक ऐसे अधिदेश की आवश्यकता है जो निजी संस्थाओं और सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों तक विस्तारित हो। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए, NHRC को केवल एक निगरानीकर्ता ही नहीं, बल्कि मानवाधिकार परिणामों का निर्णायक बनाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

Q 6. "स्वयं सहायता समूह (SHGs) जमीनी स्तर के लोकतंत्र के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।" भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए।

उत्तर: नाबार्ड (NABARD) के अनुसार, स्वयं सहायता समूह (SHG) उन लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो समान आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए नियमों और विनियमों के ढांचे के भीतर कार्य करते हैं। इनका दृष्टिकोण सहभागी निर्णय लेने और लाभों को न्यायसंगत तरीके से साझा करने पर आधारित होता है।

भारतीय संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

1. **सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** स्वयं सहायता समूह जमीनी स्तर पर विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करते हैं। ये समूह हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के बीच सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) पहल के तहत, लगभग 10 करोड़ महिलाएँ करीब 90 लाख SHGs (ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार) में संगठित हैं, जो सहभागी लोकतंत्र के संदर्भ में उनकी व्यापक पहुंच को स्थापित करता है।
2. **राजनीतिक सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व:** स्वयं सहायता समूह जमीनी शासन के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। **73वें संवैधानिक संशोधन** के बाद, SHG की कई सदस्यों ने सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव लड़े और जीते हैं। बिहार और केरल जैसे राज्यों में, महिला सदस्यों ने ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास के निर्णयों को प्रभावित किया है।
3. **वित्तीय समावेशन और जवाबदेही:** नाबार्ड के 'स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज' कार्यक्रम ने धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया है।
4. **सामाजिक लामबंदी और सामूहिक कार्रवाई:** इन समूहों ने शराबखोरी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और स्वच्छता जैसी समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना किया है। उदाहरण के लिए, केरल में **'कुडुम्बश्री'** पहल ने स्थानीय स्वशासन और गरीबी उन्मूलन में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाया है।
5. **राज्य और नागरिक के बीच सेतु:** स्वयं सहायता समूह मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और पोषण मिशन जैसे कार्यक्रमों के जमीनी कार्यान्वयन में सहायता करते हैं।

चुनौतियाँ

लोकतंत्र की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करने वाली कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

- **अभिजात वर्ग का नियंत्रण:** अक्सर प्रभावशाली लोगों द्वारा समूहों पर नियंत्रण कर लिया जाता है।
- **अत्यधिक ऋणग्रस्तता:** वित्तीय प्रबंधन की कमी से कर्ज का जाल।
- **असंतुलित क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण और कौशल विकास में कमी।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** कुछ राज्यों में समूहों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जबकि अन्य में यह अभी भी प्रारंभिक चरण में है।

भारतीय परिदृश्य में, स्वयं सहायता समूह अपनी आर्थिक भूमिका से आगे बढ़कर महिलाओं के सशक्तिकरण, स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी और सामाजिक जवाबदेही के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र के सशक्त उपकरण बन गए हैं। उनके क्षमता निर्माण में सुधार करके उन्हें लोकतंत्र के स्तंभों के रूप में और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

Q 7. "कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सफलता नीतिगत इरादे के बजाय प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर: भारत में कल्याणकारी कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) समुदाय, वरिष्ठ नागरिक, प्रवासी श्रमिक और गरीब शामिल हैं, के उत्थान के लिए तैयार किए गए हैं। हालांकि इन नीतियों के इरादे सामाजिक न्याय के संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप हैं, लेकिन इनकी सफलता मुख्य रूप से इनके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

मजबूत ढांचे वाली योजनाएँ लेकिन सीमित प्रभाव

भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), और आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जैसे अधिकार-आधारित और लक्षित कार्यक्रमों को लागू करने में सफल रहा है।

- **मनरेगा (MGNREGA):** यह ग्रामीण रोजगार के लिए 100 दिनों का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 में, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। हालांकि, भुगतान में देरी और धन की कमी ने कुछ राज्यों में इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):** यह भारत की दो-तिहाई जनसंख्या (80 करोड़ लोग) को लाभ पहुँचाता है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में 'अपवर्जन की त्रुटियों' और लीकेज (रिसाव) ने इसकी क्षमता को सीमित कर दिया है।

प्रभावी कार्यान्वयन वाली योजनाएं: 'गेम चेंजर' साबित हुईं

जब कार्यान्वयन के उपकरण मजबूत होते हैं, तो कल्याणकारी सेवाओं की डिलीवरी में काफी सुधार होता है।

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** इसके तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** (DBT) में बड़ी मदद मिली है।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, DBT ने रिसाव को रोककर **₹2 लाख करोड़** से अधिक की बचत करने में मदद की है।
- **आधार-आधारित प्रमाणीकरण** और डिजिटल भुगतान ने सब्सिडी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई है।
- यह दर्शाता है कि प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन और निरंतर निगरानी से योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार होता है।

कार्यान्वयन में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियाँ

प्रगति के बावजूद, कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान आवश्यक है:

- जमीनी स्तर पर **प्रशासनिक क्षमता** का अभाव।
- DBT तक पहुँचने में **डिजिटल अंतराल**।
- अप्रभावी **शिकायत निवारण प्रणाली**।
- कुछ क्षेत्रों में प्रभावी **सामाजिक अंकेक्षण** की कमी।

ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ परिवर्तनकारी कल्याणकारी नीतियों की क्षमता बाधित हुई है।

जहाँ नीतियों का इरादा 'हकदारी' को परिभाषित करता है, वहीं उनका कार्यान्वयन उसकी 'प्राप्ति' को सुनिश्चित करता है। इसलिए, प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता सर्वोपरि है। इसे जमीनी स्तर पर बेहतर शासन, धन की समय पर निकासी, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और जवाबदेही में सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

Q 8. 'लघु-पक्षवाद' की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हाल के वर्षों में भारत ने इसे विदेश नीति के उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया है?

उत्तर: 'लघु-पक्षवाद' में आम तौर पर देशों या संगठनों के छोटे समूह साझा समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह **साझा मूल्यों या विचारधारा के बजाय साझा हितों** को प्राथमिकता देता है। यह अलग-अलग विश्वदृष्टिकोण वाले देशों को विशिष्ट मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

भारत द्वारा लघु-पक्षवाद का अनुप्रयोग

भारत द्वारा लघु-पक्षवाद का उपयोग रणनीतिक और विविधतापूर्ण रहा है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और परिचालन सहयोग बढ़ाने के लिए छोटे समूहों के गठबंधनों का उपयोग करता है:

- **सुरक्षा और समुद्री कूटनीति:** भारत **क्वाड** (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) का एक संस्थापक सदस्य है, जो समुद्री सुरक्षा, वैक्सीन वितरण समन्वय और बुनियादी ढांचे के विकास का एक तंत्र है। इसके अतिरिक्त, भारत 'मालाबार' जैसे बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में शामिल होता है ताकि अंतर-परिचालन क्षमता बढ़ाई जा सके और रणनीतिक प्रतिरोध का प्रदर्शन किया जा सके। हाल के वर्षों में इन नौसैनिक अभ्यासों के दायरे और आवृत्ति में विस्तार हुआ है।
- **आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहयोग: I2U2 (भारत, इज़राइल, अमेरिका और UAE)** में भारत की भागीदारी विशिष्ट पहलों (जैसे- खाद्य, जल, हरित ऊर्जा, रसद/लॉजिस्टिक्स) में इसकी रुचि को दर्शाती है। यह उदाहरण है कि कैसे विकास लक्ष्यों के लिए लघु-पक्षीय समूहों का उपयोग किया जा सकता है।
- **मुद्दा-आधारित गठबंधन और मानक नेतृत्व:** नई दिल्ली विशिष्ट मुद्दों पर आधारित गठबंधनों (जैसे- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन/ISA जैसी नवीकरणीय ऊर्जा भागीदारी) का भी प्रस्तावक रहा है।

भारत के लिए इसके लाभ

- **बड़ी शक्तियों पर निर्भरता से बचाव:** यह किसी एक बड़ी शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
- **क्षमता विकास:** इसके माध्यम से भारत तेजी से अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है और अन्य सेनाओं के साथ समन्वय प्राप्त कर सकता है।
- **लक्षित निवेश:** यह भारत को किसी भी संस्थागत गठबंधन में बंधे बिना अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए केंद्रित निवेश आकर्षित करने में मदद करता है।
- **हिन्द-प्रशांत नीति:** समकालीन शोध भारत की हिन्द-प्रशांत नीति में लघु-पक्षवाद के महत्व को रेखांकित करते हैं।

इस प्रकार, लघु-पक्षवाद भारत की विदेश नीति के एक समझदार और महत्वपूर्ण आधार के रूप में उभरा है। यह रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए लचीली और मुद्दा-आधारित भागीदारी बनाने में मदद करता है। इन छोटे समूहों के माध्यम से, भारत तेजी से उभरती बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कद को बढ़ाने में सक्षम है।

Q 9. बदलते पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संबंधों के रणनीतिक आयामों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 ई. में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। जहाँ UAE ने 1972 में भारत में अपना दूतावास खोला, वहीं 1973 में UAE में भारतीय दूतावास खोला गया। समय-समय पर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरों से इन संबंधों को गति मिली और अगस्त 2015 ने दोनों देशों के बीच एक नई **'व्यापक और रणनीतिक साझेदारी'** की शुरुआत की।

भारत-UAE संबंधों के रणनीतिक आयाम

1. **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के आंकड़े को पार कर गया है, जो सेपा (CEPA), ऊर्जा आयात और सेवाओं द्वारा संचालित है। दिल्ली-अबू धाबी का लक्ष्य वर्ष 2032 तक व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है। यह आर्थिक सुदृढ़ता राजनीतिक विश्वास और कूटनीतिक प्रभाव का आधार है।
2. **ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा:** एक स्थिर तेल/एलएनजी (LNG) आपूर्तिकर्ता के रूप में UAE की भूमिका और दीर्घकालिक अनुबंधों (जैसे एडनॉक/ADNOC समझौतों) में उसकी भागीदारी भारत को अपने ऊर्जा जोखिमों को कम करने और विकास के लिए ईंधन सुरक्षित करने में मदद करती है। ऊर्जा साझेदारी को भारतीय बुनियादी ढांचे और वित्त केंद्रों में UAE के संप्रभु कोष निवेश से और मजबूती मिली है।
3. **निवेश और प्रौद्योगिकी:** UAE के संप्रभु कोष और कंपनियां (जैसे मुबादला/Mubadala) भारतीय उद्योग, प्रौद्योगिकी और वित्त में महत्वपूर्ण निवेशक हैं। यह निवेश भारत के औद्योगिकीकरण और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही UAE को दक्षिण एशिया में रणनीतिक आर्थिक पहुंच प्रदान कर रहा है।

4. **सुरक्षा और रक्षा:** पश्चिम एशिया में बड़ी शक्तियों के बदलते ध्यान के बीच, भारत और UAE अब एक अधिक व्यापक रक्षा साझेदारी को संहिताबद्ध कर रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री समझौता ज्ञापन (MoUs) और उभरती रणनीतिक रक्षा साझेदारी सैन्य अंतर-परिचालन क्षमता, अरब सागर की समुद्री सुरक्षा और UAE के लिए नई सुरक्षा गारंटियों की सुविधा प्रदान करेगी।
5. **भू-राजनीतिक संतुलन:** अब्राहम एकॉर्ड के बाद UAE की विविधीकृत विदेश नीति (इज़राइल, अमेरिका, रूस और भारत के साथ संबंध) तथा भारत की ऊर्जा और प्रवासी हितों की आवश्यकताएँ दोनों देशों के बीच एक व्यावहारिक और हित-आधारित रणनीतिक समन्वय को जन्म देती हैं। उदाहरण के तौर पर, दीर्घकालिक LNG/तेल समझौते और भारत में बढ़ते UAE निवेश इस बात को दर्शाते हैं कि आर्थिक साधनों का उपयोग सामरिक गहराई बनाने के लिए किया जा रहा है। **उदाहरण के लिए:** दीर्घकालिक LNG/तेल समझौतों का उपयोग और भारत में UAE के बढ़ते FDI इस बात के उदाहरण हैं कि रणनीतिक गहराई बनाने के लिए आर्थिक उपकरणों का लाभ कैसे उठाया जा रहा है।

भारत-UAE संबंध अब ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग और **आईएमईसी (IMEC)** जैसी संपर्क पहलों के सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिपक्व हो चुके हैं। यह साझेदारी इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारत, पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए विभिन्न देशों के साथ सफल तालमेल बिठा रहा है।"

Q 10. पड़ोसी देशों में घरेलू राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने पर भारत द्वारा 'पड़ोसी प्रथम नीति' को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: 'पड़ोसी प्रथम' नीति भारत के अपने तत्काल पड़ोस के देशों के साथ संबंधों के प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है। इसका मुख्य केंद्र स्थिरता और समृद्धि के लिए भौतिक, डिजिटल और व्यक्तिगत जुड़ाव के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभकारी, जन-उन्मुख क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना है।

पड़ोसी प्रथम नीति (NFP) के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **सुरक्षा का प्रसार एक प्रमुख चुनौती:** पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता अक्सर राज्य के नियंत्रण में कमी लाती है, जो भारत के लिए सीधा जोखिम है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ने हमेशा सीमा पर तनाव और भारत के लिए सुरक्षा खतरों को बढ़ाया है। इसी प्रकार, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कभी-कभी व्यापार और पारगमन से जुड़ी सीमा संबंधी समस्याओं का कारण बनती है।
2. **मानवीय और आर्थिक लागत:** संकट के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना भारत के लिए एक चुनौती है। 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान, भारत ने क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप और ईंधन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। इस कार्रवाई ने भारत की साख तो बढ़ाई, लेकिन इसके साथ भारी आर्थिक लागत भी जुड़ी थी।
3. **हस्तक्षेप की धारणा:** संकट के समय भारत की सक्रियता को अक्सर गलत समझा जाता है। 2015 में नेपाल के संवैधानिक संकट के दौरान, सीमा पर व्यवधानों को नेपाल में भारतीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जिससे भारत-विरोधी भावनाएँ उत्पन्न हुईं। घरेलू अस्थिरता सरकारों को संप्रभुता की चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है, जिससे भारत की नीतिगत लचीलापन कम हो जाती है।
4. **शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा:** किसी देश में संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। राजनीतिक अस्थिरता चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसर पैदा करती है, जैसा कि श्रीलंका और मालदीव में देखा गया है। यह 'पड़ोसी प्रथम नीति' में भारत की रणनीतिक गणनाओं को और जटिल बना देता है।
5. **परियोजनाओं में देरी और नीतिगत अनिश्चितता:** पड़ोसी देशों में बार-बार सरकार बदलने से बुनियादी ढांचा समझौतों, व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अनिश्चितता कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं की गति को धीमा कर देती है।

यद्यपि 'पड़ोसी प्रथम नीति' भारत की विदेश नीति का एक मुख्य हिस्सा बनी हुई है, लेकिन पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए निरंतर चुनौतियां पेश करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

Q 11. भारत में उपलब्ध वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्रों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। ये मामलों के लंबित होने की समस्या को कम करने में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं?

उत्तर: वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्र जैसे कि मध्यस्थम, मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और अभिवाक सौदेबाजी सस्ती, त्वरित और सहभागी न्याय प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में उभरे हैं।

भारत में ADR का संवैधानिक और कानूनी आधार

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समानता; ADR न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 39A:** राज्य का नीति निदेशक तत्व जो मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय का आदेश देता है।
- **अनुच्छेद 323B:** विशिष्ट न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों को सक्षम बनाता है।
- **विधिक आधार:** मध्यस्थम और सुलह अधिनियम एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम।

भारत में प्रमुख ADR तंत्र

- **मध्यस्थम:** यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जहाँ विवादों का निर्णय एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। इसका व्यापक उपयोग वाणिज्यिक विवादों और बुनियादी ढांचा अनुबंधों में होता है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (MCIA) जैसे संस्थान इसे बढ़ावा दे रहे हैं।
- **मध्यस्थता:** यह एक स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है। हाल ही में **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** द्वारा इसे और मजबूती दी गई है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन (2010) मामले में न्यायालय ने इसकी उपयुक्तता स्पष्ट की थी।

- **सुलह:** मध्यस्थता के विपरीत, सुलहकर्ता समझौते की शर्तों का प्रस्ताव दे सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत औद्योगिक विवादों को अक्सर इसी माध्यम से सुलझाया जाता है।
- **लोक अदालत:** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित ये अदालतें समझौते पर आधारित समाधानों को वैधानिक मान्यता देती हैं। पंजाब राज्य बनाम जलौर सिंह (2008) में कहा गया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम और गैर-अपील योग्य है।
- **अभिवाक सौदेबाजी (प्लिया बार्गेनिंग):** 2005 के CrPC संशोधन द्वारा पेश किया गया। यह 7 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के लिए लागू है।

मामलों के लंबित होने को कम करने में योगदान

- **लोक अदालतों के माध्यम से व्यापक निपटान:** राष्ट्रीय लोक अदालतें एक ही दिन में लाखों मामलों का निपटारा करती हैं। वर्ष 2024–25 में, लोक अदालतों ने 1.2 करोड़ से अधिक मामलों (मुकदमेबाजी से पूर्व और लंबित दोनों) का सफलतापूर्वक निपटारा किया।
- **मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता:** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 नागरिक और वाणिज्यिक विवादों के लिए इसे बढ़ावा देता है। यह प्रवेश स्तर पर ही मामलों को "फ़िल्टर" करता है, जिससे केवल जटिल कानूनी मुद्दे ही न्यायालय पहुँचते हैं।
- **विशेषज्ञता:** मध्यस्थम तकनीकी विशेषज्ञों को वाणिज्यिक या समुद्री विवादों को निपटाने की अनुमति देता है, जिससे निचली अदालतों का कीमती समय बचता है।
- **समय और लागत की बचत:** मध्यस्थम की समय-सीमा को 2015 और 2019 के संशोधनों के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है। मध्यस्थता के माध्यम से अक्सर कुछ ही महीनों में समझौता हो जाता है।
- **निर्णयों की अंतिमता:** लोक अदालतों के निर्णय और मध्यस्थम पुरस्कारों (सीमित आधारों को छोड़कर) के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, जिससे "अपीलीय जंगल" का बोझ कम होता है।

सीमाएँ

- 'तदर्थ मध्यस्थम' में उच्च लागत।
- ग्रामीण क्षेत्रों में समान मध्यस्थता बुनियादी ढांचे का अभाव।
- मुकदमेबाजों के बीच जागरूकता की कमी।
- मध्यस्थम निर्णयों के प्रवर्तन में देरी।

यद्यपि ADR ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन "मुकदमेबाजी वाली मानसिकता" और प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 और सरकार द्वारा संस्थागत मध्यस्थता पर दिए जा रहे जोर के साथ, ADR भारत की न्याय वितरण प्रणाली के हाशिये से केंद्र में आने के लिए तैयार है।

Q 12. भारतीय संसद की उत्पादकता में सुधार करने में संसदीय समितियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के वर्षों में इन समितियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: संसद के कार्य विविध, जटिल और व्यापक होते हैं। इसके अलावा, संसद के पास सभी विधायी उपायों और अन्य मामलों की विस्तृत जाँच करने के लिए न तो पर्याप्त समय होता है और न ही आवश्यक विशेषज्ञता। इसलिए, संसद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कई समितियों की सहायता लेती है।

संसदीय समितियों के विभिन्न प्रकार

- **वित्तीय समितियाँ:** जैसे लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, जो सार्वजनिक खर्च और कैग (CAG) की रिपोर्टों की समीक्षा करती हैं।
- **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs):** वर्तमान में 24 ऐसी समितियाँ हैं जो अनुदान की माँगों, विधेयकों और मंत्रालयों की नीतियों के प्रदर्शन की समीक्षा करती हैं।
- **तदर्थ और संयुक्त समितियाँ:** किसी विशेष कानून या मामलों के लिए बनाई गई समितियाँ, जैसे संयुक्त संसदीय समितियाँ (JPCs)।

संसदीय उत्पादकता बढ़ाने में योगदान

1. **विधायिकी की गहन समीक्षा:** सदन में बहस संक्षिप्त होती है, जबकि समितियाँ विधेयकों की धारा-दर-धारा जाँच करती हैं, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श करती हैं और संशोधनों के सुझाव देती हैं। उदाहरण के लिए, आईटी (IT) पर स्थायी समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं।
2. **वित्तीय समीक्षा और जवाबदेही:** लोक लेखा समिति (PAC) जिम्मेदार खर्च सुनिश्चित करने के लिए कैग रिपोर्टों की समीक्षा करती है। रक्षा खरीद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विसंगतियों को उजागर करने में इसकी भूमिका अहम रही है।
3. **आम सहमति बनाना:** समिति प्रणाली कम दलीय माहौल में काम करती है। विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति आम सहमति बनाने में मदद करती है, जिससे कानून का पारित होना आसान हो जाता है।
4. **कार्यान्वयन की निगरानी:** समितियाँ 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Reports - ATRs) की निगरानी करती हैं। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि हर साल दोनों सदनों में सैकड़ों रिपोर्ट रखी जाती हैं, जो सिफारिशों की निरंतर ट्रैकिंग को दर्शाती हैं।
5. **विशेषज्ञों की भागीदारी:** समितियाँ विशेषज्ञों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ परामर्श करती हैं, जिससे विधायी चर्चाओं में वह गहराई आती है जिसका सदन में अक्सर अभाव होता है।

पिछले कुछ वर्षों में अनुभव की गई चुनौतियाँ

1. **विधेयकों को भेजने में कमी:** 15वीं लोकसभा में लगभग 71% विधेयक समितियों को भेजे गए थे, जबकि 17वीं लोकसभा में यह संख्या घटकर 20% से भी कम रह गई।
2. **संसदीय बैठकों की संख्या में गिरावट:** कम बैठकों और व्यवधानों का अर्थ है कि समितियों के पास अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कम समय बचता है।
3. **क्षमता संबंधी मुद्दे:** एक ही समिति के पास कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी होने से विश्लेषण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
4. **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण कभी-कभी 'असहमति नोट' और आम सहमति तक पहुँचने में देरी होती है, जिससे रिपोर्ट के नैतिक प्रभाव पर असर पड़ता है।

संसदीय समितियाँ कानून की गुणवत्ता, जवाबदेही और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत सुधार करती हैं। फिर भी, विधेयकों को समितियों

के पास भेजने में कमी, कम बैठकों और संसाधनों की कमी जैसे रुझान उनकी दक्षता को प्रभावित करते हैं। संसदीय उत्पादकता और जवाबदेही को पुनर्जीवित करने के लिए इन समितियों की स्वायत्तता, संसाधन और विधेयकों की अनिवार्य जाँच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Q 13. एक संवैधानिक पद के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। वर्तमान तंत्र इस पद के कामकाज में स्वतंत्रता और जवाबदेही को किस हद तक सुनिश्चित करता है?

उत्तर: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 63** के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। यह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। **अनुच्छेद 64** के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया संघीय और संसदीय विचारों के बीच एक संतुलन स्थापित करती है।

नियुक्ति की प्रक्रिया

1. **निर्वाचक मंडल:** अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें **मनोनीत सदस्य** भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती हैं।
2. **चुनाव की विधि:** चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत** प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
3. **अर्हताएँ (अनुच्छेद 66(3)):**
   - ✓ भारत का नागरिक हो।
   - ✓ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
   - ✓ राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो।
   - ✓ किसी लाभ के पद पर न हो।
4. **कार्यकाल और पदच्युति (अनुच्छेद 67):** उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे लोकसभा सहमत हो।

स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

1. **संसद द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव:** चूँकि उपराष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इस पद की वैधता केंद्रीय विधायिका पर आधारित होती है।
2. **निश्चित कार्यकाल:** पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल पद को स्थिरता प्रदान करता है।
3. **निष्कासन प्रक्रिया:** राज्यसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
4. **कार्यकारी अधीनता का अभाव:** कार्यात्मक मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अधीनस्थ नहीं होते हैं।

हालांकि, राष्ट्रपति के चुनाव की तुलना में निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं को शामिल न करने से इसका संघीय तत्व कुछ कम हो जाता है।

जवाबदेही सुनिश्चित करना

1. **राज्यसभा के सभापति के रूप में:** पीठासीन अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति से निष्पक्ष रहने और संसदीय नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
2. **निष्कासन तंत्र:** उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जो उनकी राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
3. **न्यायिक समीक्षा:** अनुच्छेद 71 के तहत चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है।

उदाहरण: एम. वेंकैया नायडू जैसे उपराष्ट्रपतियों ने विधायी अनुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे संसद के प्रति उपराष्ट्रपति की जवाबदेही स्थापित हुई है।

उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का तंत्र लोकतांत्रिक वैधता और संसदीय जवाबदेही के बीच एक संतुलन है। यद्यपि यह संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ है, लेकिन स्वतंत्रता की गारंटी देने में इसकी प्रभावशीलता 'संवैधानिक नैतिकता', निष्पक्षता और विधायी परंपराओं के पालन पर निर्भर करती है।

Q 14. साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और शासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित AI प्रणालियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके दुरुपयोग और बहिष्करण को रोकने के लिए किन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है?

उत्तर: AI-सक्षम प्रणालियाँ बड़े डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण करती हैं, जिससे सरकारें लक्षित, कुशल और पारदर्शी नीतियाँ बना पाती हैं। इससे शासन की प्रकृति अंतर्ज्ञान-आधारित निर्णयों से डेटा-आधारित निर्णयों की ओर परिवर्तित हो रही है।

शासन में ICT-आधारित AI की भूमिका

1. **डेटा-आधारित नीति निर्धारण:** AI प्रणालियाँ पैटर्न का पता लगाने के लिए योजनाओं, सर्वेक्षणों, उपग्रहों और सरकारी रिकॉर्ड से प्राप्त 'बिग डेटा' का विश्लेषण करती हैं।
   - ✓ **नीति आयोग** के AI दृष्टिकोण के तहत, सब्सिडी और खरीद नीतियों को सूचित करने के लिए कृषि (फसल अनुमान, कीट पहचान) में AI का उपयोग किया जा रहा है।
   - ✓ **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** 112 जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए रियल-टाइम डेटा डैशबोर्ड का उपयोग करता है।
2. **लक्षित कल्याणकारी वितरण:** आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालियों के साथ मिलकर AI एनालिटिक्स लाभार्थियों की पहचान करने और बर्बादी को कम करने में सक्षम बनाता है।
   - ✓ **DBT प्रणाली** के माध्यम से 2014-2023 के बीच फर्जी लाभार्थियों को हटाकर ₹2.7 लाख करोड़ से अधिक की बचत का दावा किया गया है।
   - ✓ **पूर्वानुमानित विश्लेषण** कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों में सबसे जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देने में मदद करता है।

जोखिम और चुनौतियां

1. **एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह और भेदभाव:** यदि AI को पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह वंचित समूहों के साथ भेदभाव कर सकता है।

2. **निजता के मुद्दे:** बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से निगरानी और डेटा गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा हो सकता है।
3. **डिजिटल विभाजन:** NSSO के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण इंटरनेट पहुंच शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है, जिससे AI-आधारित सेवाओं से बहिष्करण हो सकता है।
4. **अपारदर्शिता (ब्लैक बॉक्स समस्या):** AI मॉडल में पारदर्शिता की कमी के कारण जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है।

आवश्यक सुरक्षा उपाय

1. **मजबूत कानूनी ढांचा:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का प्रभावी क्रियान्वयन, जिससे सूचित सहमति, उद्देश्य-सीमा और डेटा न्यूनता सुनिश्चित हो।
2. **एल्गोरिथमिक पारदर्शिता और ऑडिट:** स्वतंत्र ऑडिट, 'व्याख्या करने योग्य AI' मॉडल और निर्णय लेने के मानदंडों का खुलासा करना।
3. **समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचा:** ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (जैसे-भारतनेट) और डिजिटल साक्षरता पहलों के माध्यम से डिजिटल विभाजन को दूर करना।
4. **मानवीय निगरानी:** शिकायत निवारण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए AI प्रणालियों को मानवीय निर्णय का समर्थन करना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए।

ICT-आधारित AI प्रणालियाँ दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाकर साक्ष्य-आधारित शासन में सुधार करती हैं। हालांकि, निजता, समावेशिता, जवाबदेही और नैतिक AI के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचा जा सके और इसे संविधान में निहित न्याय और समानता के मूल्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

Q 15. भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना जनवरी 1992 में **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में NCW की भूमिका

1. **शिकायत निवारण और हेल्पलाइन:** आयोग ऑनलाइन शिकायत की सुविधा प्रदान करता है, 24×7 महिला हेल्पलाइन संचालित करता है, और इसमें एक 'शिकायत एवं जाँच' (C&I) सेल है जो मामलों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजता है या उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। यह पीड़ित महिलाओं के लिए एक सुलभ प्राथमिक संपर्क केंद्र है।
2. **स्वतः संज्ञान और सार्वजनिक वकालत:** आयोग अक्सर मीडिया रिपोर्टों और उभरते मामलों पर स्वतः संज्ञान लेता है और नोटिस भेजता है (जैसे कि हाल ही में अपमानजनक मीडिया टिप्पणियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई)। यह अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाता है।
3. **कानूनों की समीक्षा और सिफारिशें:** आयोग मौजूदा कानूनों का परीक्षण करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपता है। इसके अलावा, यह प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और बहु-हितधारक परामर्शों में भी संलग्न रहता है।

शक्तियाँ और सीमाएँ

1. **शक्तियाँ:**
   - ✓ यह लैंगिक अन्याय के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है।
   - ✓ जहाँ पीड़ितों के पास तत्काल कोई विकल्प नहीं होता, वहां यह उस शून्यता को भरता है।
   - ✓ राज्य महिला आयोगों के साथ समन्वय में कार्य करता है और महिलाओं के लिए एक किफायती सहायता बिंदु (हेल्पलाइन/ऑनलाइन शिकायत) के रूप में कार्य करता है।
2. **सीमाएँ:**
   - ✓ **प्रवर्तन शक्तियों का अभाव:** आयोग के पास मुकदमा चलाने या अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है। इसकी सिफारिशों का पालन करना सरकार, पुलिस या अदालतों पर निर्भर करता है, जो इसकी प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
   - ✓ **कार्यान्वयन का अंतराल:** शिकायतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सजा या प्रणालीगत बदलाव के मामले में परिणाम कम हैं। डेटा से पता चलता है कि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होने के बावजूद वास्तविक बदलाव की गति धीमी है।
   - ✓ **संसाधन और राजनीतिकरण की चुनौतियाँ:** कर्मचारियों और संसाधनों की कमी, उच्च टर्नओवर और कभी-कभी संगठन का राजनीतिकरण इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निगरानीकर्ता और वकालत एजेंसी है जो महिलाओं की शिकायतों की दृश्यता और उन तक पहुँच को बढ़ाती है। हालाँकि, अपनी शक्तियों को लागू करने में असमर्थता, कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी निकायों पर निर्भरता और संरचनात्मक सीमाओं के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है। इसकी जाँच क्षमताओं में सुधार करके इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

Q 16. आकलन कीजिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार भारत में गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में किस प्रकार योगदान देते हैं।

उत्तर: बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य से उनके संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास में सुधार होता है, जबकि बढ़ती स्कूली शिक्षा जीवन भर की कमाई में वृद्धि करती है और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ये दोनों कारक मिलकर परिवारों को आर्थिक झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पथ को सकारात्मक रूप से बदल देते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की भूमिका

1. **प्रारंभिक बाल पोषण और विकास:** अच्छी तरह से पोषित और विकसित बच्चों के बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने और वयस्क जीवन में उच्च आय अर्जित करने की संभावना अधिक होती है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 'स्टंटिंग' (बौनापन) घटकर 35.5% (NFHS-5, 2019-21) हो गई है, जो समय के साथ सुधार को दर्शाती है। कुपोषण में कमी से संज्ञानात्मक क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है, जिससे गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत संचरण पर विजय प्राप्त होती है।
2. **मृत्यु दर और रुग्णता दर:** भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 97 (SRS, 2018-20) हो गया है, और शिशु मृत्यु दर में भी निरंतर गिरावट आई है। मृत्यु दर में सुधार का अर्थ है परिवारों पर लगने वाले आर्थिक झटकों में कमी, जिससे बच्चों के जीवित रहने और विकसित होने की संभावना बढ़ती है, और उनकी भविष्य की आय-सृजन क्षमताओं में सुधार होता है।
3. **जोखिम से वित्तीय सुरक्षा: आयुष्मान भारत-PMJAY** जैसे कार्यक्रम स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्च से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 5-7% भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। स्वास्थ्य के प्रति वित्तीय सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि परिवार स्वास्थ्य संबंधी झटकों के कारण ऋण के चक्र में न फंसें।

शिक्षा में सुधार की भूमिका

1. **सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव: समग्र शिक्षा** और **मध्याह्न भोजन योजना (PM POSHAN)** जैसी योजनाओं ने विशेष रूप से वंचित वर्गों के नामांकन और उपस्थिति में सुधार किया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 'सकल नामांकन अनुपात' (GER) 100% से ऊपर है, जो लगभग सार्वभौमिक पहुंच का संकेत है। शिक्षा से रोजगार क्षमता और जीवन भर की आय में सुधार होता है।
2. **महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की भूमिका:** महिलाओं में बढ़ती साक्षरता (NFHS-5 के अनुसार 77.7%) प्रजनन दर में कमी, बेहतर बाल पोषण और कार्यबल में बढ़ती भागीदारी से जुड़ी है। शिक्षित माताओं द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की अधिक संभावना होती है, जिससे एक सकारात्मक अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव पैदा होता है।
3. **कौशल विकास और रोजगार क्षमता:** माध्यमिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच से श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, शिक्षा के अतिरिक्त वर्ष व्यक्तिगत आय में 8-10% की वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिशीलता आती है।

परस्पर जुड़ा हुआ प्रभाव

स्वास्थ्य और शिक्षा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं; स्वस्थ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि शिक्षित लोग स्वस्थ आदतों का पालन करते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। केरल जैसे राज्य दिखाते हैं कि कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश उच्च स्तर के मानव विकास और कम गरीबी की ओर ले जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में वृद्धि मानव पूंजी, लचीलापन और आर्थिक अवसरों में सुधार करती है। उत्पादकता बढ़ाकर और स्वस्थ एवं शिक्षित पीढ़ियों को सुरक्षित करके, भारत प्रभावी रूप से गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत संचरण को तोड़ सकता है और समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त कर सकता है।

Q 17. सहभागी और डिजिटल शासन के युग में भारत में सिविल सेवा की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: जैसे-जैसे भारत केंद्रीकृत, शीर्ष-से-नीचे (top-down) मॉडल से सहभागी और डिजिटल शासन की ओर बढ़ रहा है, सिविल सेवक की भूमिका "नियामक" और "नियंत्रक" से बदलकर "सुविधादाता" और "सहयोगी" के रूप में विकसित हुई है।

"शासक की नौकरशाही" से "नागरिक-केंद्रित प्रशासन" तक

1. **फाइल-आधारित कार्य (फाइल-पुशिंग) से डेटा एनालिटिक्स तक:** आधुनिक सिविल सेवक परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (PRAGATI) और **पीएम गति शक्ति** जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अब निर्णय व्यक्तिगत प्रशासनिक विवेक के बजाय **बिग डेटा** और **GIS मैपिंग** पर आधारित होते हैं।
2. **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और रिसाव में कमी:** कल्याणकारी वितरण में सिविल सेवक की भूमिका भौतिक वितरण से बदलकर डिजिटल पाइपलाइनों के प्रबंधन की हो गई है। **JAM ट्रिनिटी** (जन धन-आधार-मोबाइल) का लाभ उठाकर, प्रशासकों ने "फर्जी लाभार्थियों" को समाप्त कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि 100% धनराशि लक्षित प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।
3. **एक उपयोगिता के रूप में सेवा वितरण:** न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (**UMANG**) और **डिजीलॉकर** जैसी पहलों ने सिविल सेवकों को "सेवा प्रबंधकों" में बदल दिया है, जिनका ध्यान निश्चित कार्यालय घंटों के बजाय 24/7 उपलब्धता पर रहता है।
4. **सामाजिक अंकेक्षण और जवाबदेही:** सोशल ऑडिट (MGNREGA के तहत अनिवार्य) के माध्यम से सिविल सेवक अब जनता के प्रति तेजी से जवाबदेह हो रहे हैं। यह 'ऊर्ध्वमुखी जवाबदेही' (राजनीतिक आकाओं के प्रति) से 'अधोमुखी जवाबदेही' (समुदाय के प्रति) की ओर बदलाव को मजबूर करता है।
5. **नियम-आधारित से भूमिका-आधारित:** इस विकास को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने **मिशन कर्मयोगी** (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) शुरू किया है। यह वरिष्ठता और नियमों के पालन के बजाय 'क्षमता-आधारित ढांचे' पर ध्यान केंद्रित करता है।

परिवर्तन के दौरान चुनौतियाँ

1. **डिजिटल विभाजन:** डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता इंटरनेट पहुंच से वंचित 25-30% आबादी को बाहर कर सकती है, जिसके लिए एक **"फिजीटल" (phygital - भौतिक + डिजिटल)** दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
2. **परिवर्तन का प्रतिरोध:** गहराई तक जमी हुई **"साइलो संस्कृति"** (विभागीय अलगाव) और नौकरशाही जड़ता अक्सर सहभागी तरीकों को अपनाने की गति को धीमा कर देती है।
3. **डेटा निजता:** चूंकि सिविल सेवक नागरिकों के विशाल डेटा का प्रबंधन करते हैं, इसलिए अब उनकी भूमिका में डेटा प्रबंधन और गोपनीयता सुनिश्चित करने की जटिल जिम्मेदारी भी शामिल हो गई है।

जैसा कि **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने सुझाव दिया है, अंतिम लक्ष्य "सरकार" से "शासन" की ओर बढ़ना है, जहाँ सिविल सेवा एक अधिक जीवंत, समावेशी और कुशल लोकतंत्र के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

Q 18. हाल ही में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत के लिए इसके संभावित आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं?

उत्तर: जनवरी 2026 में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के लिए बातचीत पूरी करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त किया, जिसे अक्सर "सभी समझौतों की जननी" कहा जा रहा है। यह समझौता विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को 27 सदस्यीय आर्थिक समूह के साथ जोड़ता है, जिससे 2 अरब लोगों का एक एकीकृत बाजार बनता है जो वैश्विक GDP का लगभग 25% हिस्सा है।

आर्थिक महत्व

- **बेहतर बाजार पहुंच:**
  - ✓ **वस्त्र और परिधान:** वर्तमान में इन पर 8-12% यूरोपीय संघ शुल्क लगता है; शुल्क में कटौती से बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
  - ✓ **फार्मास्यूटिकल्स:** भारत यूरोप में 25% से अधिक जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है; सुव्यवस्थित नियामक मंजूरियों से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
  - ✓ **इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल:** क्रमिक शुल्क युक्तिकरण से निर्यात मात्रा का विस्तार हो सकता है।
- **निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** यूरोपीय संघ भारत में FDI का एक प्रमुख स्रोत है (संचयी $120 बिलियन)। यह FTA यूरोपीय फर्मों को **"मेक इन इंडिया 2.0"** परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विशेष रूप से उच्च तकनीक मशीनरी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स में स्थिर कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **MSME और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा:** गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी और मानकों के सामंजस्य से भारतीय MSME यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत हो सकेंगे। अक्षय ऊर्जा घटकों, खाद्य प्रसंस्करण और रसायनों जैसे क्षेत्रों को इससे लाभ होगा।
- **सेवा क्षेत्र:** भारत पेशेवर, व्यावसायिक, दूरसंचार, समुद्री, वित्तीय और पर्यावरण सेवाओं जैसी यूरोपीय संघ की प्राथमिकताओं को शामिल करने वाले 102 उप-क्षेत्रों को खोलने पर सहमत हुआ है।

रणनीतिक निहितार्थ

- **"चीन + 1" रणनीति:** यूरोपीय संघ के लिए, भारत महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक लोकतांत्रिक और विश्वसनीय विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो उसकी "डी-रिस्किंग" रणनीति में सहायता करता है। भारत के लिए, यह अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ बढ़ते व्यापारिक उतार-चढ़ाव से स्वतंत्र एक विशाल बाजार सुरक्षित करता है।
- **हिंद-प्रशांत स्थिरता:** यह समझौता यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप है, जो समुद्री सुरक्षा सहयोग और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी (जैसे, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा या IMEC) को बढ़ाता है।
- **वैश्विक मानक निर्धारण:** स्थिरता, श्रम अधिकार और डिजिटल शासन (जैसे AI और डेटा निजता) पर सामंजस्य बनाकर, भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक नियम-आधारित व्यापार मानक स्थापित करने में एक **"तीसरे ध्रुव"** के रूप में कार्य करते हैं, जो अमेरिका और चीन के प्रभाव को संतुलित करता है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत के आर्थिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। आर्थिक दृष्टि से यह विस्तारित बाज़ार पहुँच, निवेश वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक वैल्यू चेन में गहन एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। सामरिक रूप से यह भारत की बहु-संतुलित विदेश नीति को सुदृढ़ करता है, लोकतांत्रिक साझेदारियों को मजबूत बनाता है और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच लचीलापन बढ़ाता है।

Q 19. "भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक संघर्ष उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरे हैं।" हाल के विवादास्पद मुद्दों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि दोनों देशों के रणनीतिक हितों के लिए एक 'व्यापक व्यापार समझौता' क्यों आवश्यक है।

उत्तर: भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध अभी भी लेन-देन की प्रकृति के बने हुए हैं और इनमें उतार-चढ़ाव की संभावना अधिक रहती है। वर्ष 2025 में तनाव में भारी वृद्धि देखी गई, जिसे "टैरिफ वॉर" के रूप में जाना गया, जहाँ कई भारतीय निर्यातों पर अमेरिकी शुल्क बढ़कर 50% तक पहुँच गया। हालांकि, फरवरी 2026 में हुए एक हालिया अंतरिम व्यापार समझौते ने पारस्परिक शुल्कों को घटाकर 18% कर दिया है, जिससे तनाव में आंशिक कमी आई है।

हाल के विवादास्पद मुद्दे

- **पारस्परिक टैरिफ:** अप्रैल 2025 में, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क लागू किया, जिसे अगस्त 2025 में दोगुना करके 50% कर दिया गया। इस "टैरिफ ब्लडबाथ" ने विशेष रूप से कपड़ा, फुटवियर और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को लक्षित किया।
- **भू-राजनीतिक जुड़ाव: "रूसी तेल" का कारक:** 2025 के अंत में भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाया गया था, जो विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद के लिए एक दंड के रूप में था।
- **कृषि और बाजार पहुंच:** अमेरिका 'जेनेटिकली मॉडिफाइड' (GM) खाद्य आयात पर ढील चाहता है, जिसका भारत पर्यावरणीय और खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण विरोध करता है। भारत ने करोड़ों छोटे किसानों की आजीविका की सुरक्षा के आधार पर इस पर कड़ा रुख अपनाया है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और फार्मास्यूटिकल्स:** अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने पेटेंट संरक्षण और अनिवार्य लाइसेंसिंग की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत को बार-बार अपनी "प्राथमिकता निगरानी सूची" में रखा है।
  - ✓ भारत का तर्क है कि उसका पेटेंट शासन (पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत) सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए 'ट्रिप्स' (TRIPS) दायित्वों का पालन करता है। इस स्थिति को **नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जहाँ दवाओं के पेटेंट की "एवरग्रीनिंग" (नवीनीकरण की अनुचित प्रक्रिया) को रोका गया था।

- **वीजा और सेवा क्षेत्र के मुद्दे:** H-1B वीजा पर प्रतिबंध और गतिशीलता संबंधी बाधाएं भारतीय IT पेशेवरों को प्रभावित करती हैं, जबकि सेवाओं का व्यापार द्विपक्षीय जुड़ाव का एक प्रमुख घटक है।

व्यापक व्यापार समझौते (CTA) की आवश्यकता

- **पूर्वानुमेयता की पुनर्स्थापना:** CTA अस्थिर कार्यकारी आदेशों की जगह एक स्थिर कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा। फरवरी 2026 के समझौते के बाद भी टैरिफ 18% पर हैं, जो 2025 से पहले के औसत 2.5% से कहीं अधिक हैं। CTA "शून्य-टैरिफ" लक्ष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (China + 1):** चीन से जोखिम कम करने के लिए अमेरिका को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की आवश्यकता है। एक CTA अमेरिकी कंपनियों को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कानूनी निश्चितता प्रदान करेगा।
- **तकनीकी सहयोग को संस्थागत बनाना:** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (iCET) जैसी पहलों को AI, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए एक व्यापारिक आधार की आवश्यकता है।
- **सेवाओं और डिजिटल व्यापार का विस्तार:** IT और ज्ञान सेवाओं में भारत की ताकत अमेरिकी मांग के अनुरूप है। यह सुरक्षा उपायों के साथ सीमा पार डेटा प्रवाह को सुगम बनाने और फिनटेक एवं AI सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- **रणनीतिक संतुलन:** उभरते चीन और क्षेत्रीय अस्थिरता के सामने, एक मजबूत आर्थिक आधार यह सुनिश्चित करता है कि रणनीतिक साझेदारी केवल "सैन्य-गहन" ही नहीं बल्कि "अर्थव्यवस्था-व्यापी" भी हो।

एक व्यापक व्यापार समझौता (CTA) आर्थिक स्थिरता को संस्थागत बनाएगा, आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता को बढ़ाएगा और साझा सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप आर्थिक सहयोग को गहराएगा। घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के संतुलन के साथ ऐसा समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को लेन-देन आधारित प्रबंधन से एक परिपक्व, दीर्घकालिक सामरिक-आर्थिक साझेदारी में रूपांतरित कर सकता है।

Q 20. भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को सुदृढ़ करने में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत की विदेश नीति में प्रवासी समुदाय का उपयोग करने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों को रेखांकित कीजिए।

उत्तर: समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय प्रवासी समुदाय एक साधारण "प्रवासी समूह" से बदलकर भारतीय राज्य की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति बन गया है। लगभग 3.5 करोड़ (NRI और OCI सहित) की संख्या के साथ यह प्रवासी समुदाय भारत और विश्व के बीच एक सेतु का कार्य करता है।

सॉफ्ट पावर के उपकरण के रूप में भारतीय प्रवासी

- **भारत के सांस्कृतिक राजदूत:** प्रवासी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत) का लोकप्रिय होना और वाशिंगटन DC एवं लंदन जैसी वैश्विक राजधानियों में दिवाली का भव्य आयोजन करना।
- **आर्थिक प्रभाव और प्रेषण:** भारत प्रेषण प्राप्त करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में यह रिकॉर्ड $135.46 बिलियन तक पहुँच गया (पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि)।
- **राजनीतिक समर्थन और सामरिक लाभ:** अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भारतीय मूल के कानून निर्माता और नीति निर्माता भारत और मेजबान देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का कार्य करते हैं।
- **तकनीकी नेतृत्व:** वैश्विक दिग्गज कंपनियों (जैसे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई) के शीर्ष पर भारतीय मूल के CEO की उपस्थिति भारत की छवि को "मानव संसाधन पावरहाउस" के रूप में पुख्ता करती है। इसने भारत की धारणा को "सपेरों के देश" से बदलकर "सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के देश" के रूप में स्थापित किया है।

प्रवासियों के लाभ उठाने के अवसर

- **वैश्विक छवि में सुधार:** राजनीति, शिक्षा और व्यवसाय में भारतीय मूल के लोगों की सफलता एक प्रतिभा-संपन्न और लोकतांत्रिक समाज के रूप में भारत की छवि को मजबूत करती है। विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च (VAJRA) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता को राष्ट्रीय विकास में शामिल करना है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती:** प्रवासी कूटनीति अक्सर औपचारिक कूटनीति की पूरक होती है। खाड़ी देशों में भारतीय समुदायों ने स्थिर ऊर्जा और श्रम भागीदारी बनाए रखने में मदद की है। वहीं, अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों ने ऐतिहासिक रूप से भारत-अफ्रीका विकास सहयोग का समर्थन किया है।
- **ट्रैक II कूटनीति:** जब औपचारिक राजनयिक चैनल तनावपूर्ण होते हैं, तब प्रवासी-नेतृत्व वाली व्यापारिक परिषदें और शैक्षणिक नेटवर्क अनौपचारिक संवाद को सुगम बनाते हैं।

प्रवासी जुड़ाव में चुनौतियाँ:

- **हितों की विविधता:** खाड़ी देशों के "श्रमिक प्रवासियों" की ज़रूरतें (कल्याण और सुरक्षा) पश्चिम के "बौद्धिक प्रवासियों" (निवेश और दोहरी नागरिकता) से काफी भिन्न हैं।
- **राजनीतिक घर्षण:** प्रवासियों के कुछ वर्गों के बीच बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता के कारण कभी-कभी मेजबान देश के मानदंडों के साथ तनाव पैदा हो जाता है, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन और कनाडा में सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों को लेकर हुई बहसों में देखा गया।
- **आंतरिक विभाजन:** प्रवासियों के भीतर की पक्षपातपूर्ण राजनीति भारत के घरेलू विभाजनों को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे "नकारात्मक लॉबिंग" या चरमपंथी कारणों (जैसे खालिस्तान समर्थक आंदोलन) के लिए वित्त पोषण का जोखिम पैदा होता है।

भारतीय प्रवासी अब केवल विदेशी मुद्रा का स्रोत नहीं हैं, बल्कि भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आगे बढ़ते हुए, भारत को एक ऐसी नपी-तुली प्रवासी नीति की आवश्यकता है जो मेजबान देश की संवेदनशीलता के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक गौरव के बीच संतुलन बनाए रखे। संबंधों को "लेन-देन" से "परिवर्तनकारी" बनाकर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके वैश्विक नागरिक उसकी सॉफ्ट पावर कूटनीति के सबसे शक्तिशाली उपकरण बने रहें।